


## वन संरक्षण अधिनियम 1980

### अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों हेतु आवश्यक चेक लिस्ट

क्र.	अभिलेख का विवरण GoI (MoEF) से संबंधित अभिलेख	पृ.क्र.
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	1
2	प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)	2
3	वन क्षेत्र विवरण	3
4	गैर वनक्षेत्र विवरण	4
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का भूल उपोपशीत 1:50000 स्केल पर	5-6
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप	7-
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव	8-22
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीथ	23
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (यह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी देय होगी) नए यूनियन बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली के बचत खातों का विवरण संलग्न है।	24-26
10	न्यूनातम वन क्षेत्र की उपयोक्ता प्रमाण पत्र	27
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (जिन प्रकरण में लागू न हो उसके भारत सरकार का परिपत्र लगा कर उल्लेख करें) सिंचाई के प्रकरण में 10,000 हेक्टेयर तक में राज्य पर्यावरण प्रदूषण मंडल से स्वीकृति (भारत सरकार, पर्यावरण एवं मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006) इरारो अधिक में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से	28-34
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र -अ एवं ब में)	35
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस	36
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खरारा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) राजस्व वन क्षेत्र (संलग्न प्रपत्र में अधिरूचना: मय नक्शा प्रस्ताव तथा 3 प्रति में पृथक से वन संरक्षक के हस्ताक्षर एवं सील सहित आवेगा)	37-40
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	41
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, देशांश, प्रजाति विवरण सहित) जो अर्पित क्षेत्र चयनित होगा उसका वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र पृथक से आवेगा।	42-45

17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	46
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	47
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण	48
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यावाही	49
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	50-53
22	कैचमेंट ड्रीटमेंट प्लान	54
23	रियलगेशन प्लान	55
24	भाईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में)	56
25	व्यवस्थापन प्लान	57
26	वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुज्ञा, नाम, पदनाम रीजि एवं दिनांक सहित ( प्रपत्र I से IV तक )	58 - 67
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र	68
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010)	69 - 94
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में )	95
30	व.रा.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रशासित हुई वन भूमि रकबा हे. में	96
31	व.रा.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में	97
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति न होने की जानकारी ( छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का	98
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)	99
34	वन अधिकार महस्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा). (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No.11-9/1998-F.No दिनांक 11-9/1998-FC दिनांक 3/8/2009)।	100 - 102
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007 )	103 - 105
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मुख्य जमा करने का वचन पत्र।	106 - 109

37	Clearance under FC Act, 1980 : Deposition of funds with the Ad- hoc CAMPA Remittances to precede 2 <sup>nd</sup> stage clearance. ( भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 7-1/2004 (CAMPA) Meeting 3068 दिनांक 12-05-2011) BHO /357 Meeting 3068 दिनांक 12/05/2011	110- 113
38	'A detailed note on Soil Productivity or the lack it' . (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय , भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPC 013/2008- BHO/ 357 दिनांक 24/02/2010)	114
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र । ( भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F No. 2-1/2003-FC दिनांक 06/01/2011)	115
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non forestry purpose under the Forest (Conservation ) Act 1980- stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute ) (भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली का पत्र क्रमांक FNo.11-9/1998-FC दिनांक 04/01/2011)	116
<b>राज्य शासन से संबंधित अगिलेख</b>		
41	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन , वन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009	117
42	वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में )	118
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार , क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6 - CHC 022/ 2010 -BHO/ 934 दिनांक 24/05/2010)	119
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कगियों का विवरण	120- 151

  
वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा  
(.....)

(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी

कटघोरा, वनमण्डल

जिला- कोरबा (छ.ग.)

आवेदक विभाग का मांग पत्र

मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत अरक्षित वनखण्ड निरंक, राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 381/1 रकबा 0.017 हेक्टेयर, संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक 403, 391, 391, 383, 382, 381, 353, 352, 354, 348 रकबा 0.767 हेक्टर नारंगी वनखण्ड कक्ष क्रमांक 708, 707 रकबा 0.029 हेक्टेयर आवश्यक है। इस प्रकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित केतमा रो हाडमोर के समानांतर कुल रकबा 0.813 हेक्टेयर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु मांग की गई है।



(अमन कुमार सिंह)

गहाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)  
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड  
रायपुर छत्तीसगढ़



वनक्षेत्र का विवरण

प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्षा / खसरा क्रमांक	नारगी क्षेत्र हे. में	संरक्षित वनक्षेत्र हे. में	राजस्व वन भूमि हे. में	योग हे. में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कटघोरा	केन्दई	P403	---	0.052	---	0.052
2	कटघोरा	केन्दई	P391	---	0.081	---	0.116
3	कटघोरा	केन्दई	P383	---	0.091	---	0.091
4	कटघोरा	केन्दई	P382	---	0.049	---	0.049
5	कटघोरा	केन्दई	P381	---	0.147	---	0.147
6	कटघोरा	केन्दई	P353	---	0.127	---	0.127
7	कटघोरा	केन्दई	P352	---	0.026	---	0.026
8	कटघोरा	केन्दई	P354	---	0.097	---	0.097
9	कटघोरा	केन्दई	P348	---	0.062	---	0.062
10	कटघोरा	केन्दई	708	0.018	---	---	0.018
11	कटघोरा	केन्दई	707	0.011	---	---	0.011
12	कटघोरा	छोबिया	381/1	---	---	0.017	0.017
योग :-				0.029	0.767	0.017	0.813

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल रकबा 0.813 हेक्टेयर है।

- 01- वन का साईट क्वालिटी -  
02- घनत्व - 0.2

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
केन्दई

उप वनमंडलाधिकारी  
कटघोरा



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयरी)  
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड  
रायपुर छत्तीसगढ़

वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

### गैर वनक्षेत्र का विवरण

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा केरमा से हाडमोर तक ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु इस मार्ग में शामिल 0.375 है. गैर वनक्षेत्र, एन.एच. कारीजोर के अंतर्गत आ रहा है, वही गैर वनभूमि इस प्रयोजना में सयुंक्त है।



(अमच कुगार शिंद)

महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयरी)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

कण्डिका क्रमांक - 5

प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का

मूल टोपोशीट स्केल 1:50000 पर

पेज क्रमांक .....से..... में संलग्न है।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप स्केल 1:50000 पर

पेज क्रमांक ..... से ..... में संलग्न है।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

**FORM- IV****राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप**

1	परियोजना ब्यौरे :-	
	1. उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है -	रिलायस जियो द्वारा केतमा से हाडमोर तक 0.813 हेक्टर में ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु
	2. अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं है)-	आरक्षित वन - निरंक संरक्षित वन - 0.767 , ऑरेंज एरिया - 0.029 राजस्व वनभूमि - 0.017 कुल 0.813 हेक्टर।
	3. परियोजना की कुल लागत -	48.00 लाख में
	4. परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जांच की गई उनको दर्शाते हुए और मंजूर करने के कारण बताएं जाएं -	अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण वनभूमि का आवश्यकता है।
	5. वित्तीय तथा सामाजिक लाभ -	जन कल्याण एवं केन्द्रीय राजस्व में वृद्धि
	6. कुल लाभान्वित होने वाली आबादी -	सम्पूर्ण भारत
7. सृजित रोजगार	आवश्यकता अनुसार	
2	परियोजना स्कीम का स्थान :-	केतमा से हाडमोर
	1. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश -	छत्तीसगढ़
	2. जिला -	कोरबा
3. वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेंट -	कक्ष क्रमांक 403, 391, 391, 383, 382, 381, 353, 352, 354, 348, 708, 707 राजस्व खसरा क्रमांक 381/1	
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा -	आरक्षित वन - निरंक संरक्षित वन - 0.767 , ऑरेंज एरिया - 0.029 राजस्व वनभूमि - 0.017 कुल 0.813 हेक्टर।

4	<b>शामिल वनभूमि का ब्यौरा -</b>	
	1. वन की वैधानिक स्थिति (नामक: आरक्षित/सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) -	आरक्षित वन - निरंक शंरक्षित वन - 0.767 , ऑरिज एरिया - 0.029 राजस्व वनभूमि - 0.017 कुल 0.813 हेक्टर।
	2. क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा	संलग्न है।
	3. वनस्पति की सघनता -	0.2
	4. वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार -	वृक्ष विदोहन नहीं होना है।
	5. भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं -	नहीं है।
	6. क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव भंडार रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वाहनों की विशिष्ट टिप्पणियों को संलग्न करें)	नहीं है।
	7. विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना/स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा -	ओ.एफ.सी. केवल को भूमिगत बिछाना है। 0.813 हेक्टर भूमि का उपयोग की जानी है।
	8. क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियां -	आवश्यक नहीं है।
	9. क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक बारा स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है	आवश्यक नहीं है।
	10. प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	आवश्यक नहीं है।
5	<b>परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा -</b>	आवश्यक नहीं है।
	1. विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	आवश्यक नहीं है।
	2. विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
	3. विस्तृत पुनर्वास योजना -	आवश्यक नहीं है।


6	<b>क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे -</b> 1. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इराकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार -- 2. क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र /अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मझचित्र -	शासन द्वारा छूट प्रदान की गई है।  आवश्यक नहीं है।
	3. रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम -	निरंक
	4. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय -	आवश्यक नहीं है।
	5. वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐरो अधिकारी द्वारा हस्ता. किये जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो)	आवश्यक नहीं है।
	6. क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र -	नहीं है।
	7. परिषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल परिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये -	आवश्यक नहीं है।
	1. परिषण लाइनों की कुल लम्बाई -	नहीं है।
	2. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाइनों की लम्बाई -	नहीं है।
	3. मार्ग का अधिकार --	नहीं है।
	4. निर्मित किये जानेह वाले टावरों की संख्या -	नहीं है।
	7. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या --	नहीं है।
	8. परिषण टावरों की ऊंचाई	नहीं है।

7	<b>सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए -</b>	नहीं है।
	1. कुल आवाह क्षेत्र -	नहीं है।
	2. कुल कमानु क्षेत्र -	नहीं है।
	3. कुल जलाशय स्तर -	नहीं है।
	4. उच्च बाढ़ स्तर -	नहीं है।
	5. न्यूनतम प्राप्ति स्तर -	नहीं है।
	6. परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागृह भूमि, मावन आबादी तथा अन्य) -	नहीं है।
	7. उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र-	नहीं है।
	8. पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र -	नहीं है।
	9. पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
	10. पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल गझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	नहीं है।
	11. न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र -	नहीं है।
	12. विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना -	नहीं है।
	13. कुल वितीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में -	नहीं है।
8	<b>सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे -</b>	नहीं है।
9	<b>केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये -</b>	नहीं है।
	1. पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	नहीं है।
	2. सड़क की कुल लम्बाई -	नहीं है।
	3. पहले बनाई जा चुकी सड़क की कुल लम्बाई -	नहीं है।

10	<b>खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)</b>	नहीं है।
	1. कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	नहीं है।
	2. प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि -	नहीं है।
	3. वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार -	नहीं है।
	4. खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन -	नहीं है।
	5. खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	नहीं है।
	6. चरणबद्ध सुधार योजना -	नहीं है।
	7. जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान -	नहीं है।
	8. पट्टा संलेख की प्रति रॉलरन की जाये	नहीं है।
	9. नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या -	नहीं है।
	10. निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल -	नहीं है।
	क. खनन -	नहीं है।
	ख. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन -	नहीं है।
	ग. अधिभार को जमा करना -	नहीं है।
	घ. औजारों एवं मशीनों का भण्डारन -	नहीं है।
	ङ. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	नहीं है।
	च. शहर, आवास, कालोनियां -	नहीं है।
	छ. सड़क/रेलवे मार्ग/रज्जु मार्ग का निर्माण	नहीं है।
	ज. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	नहीं है।
	11. परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किये जाने के क्या कारण है	अवश्यक नहीं है।

	12. खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
	13. बारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दूरी -	आवश्यक नहीं है।
	14. भुजः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उत्तरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया)	आवश्यक नहीं है।
	15. भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव -	आवश्यक नहीं है।
11	<b>लागत लाभ विश्लेषण -</b>	नहीं है।
12	<b>क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये है (हां/नहीं)</b>	आवश्यक नहीं है।
13	<b>क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है, (हां/नहीं) यदि हां तो -</b>	आवश्यक नहीं है।
	1. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे -	नहीं है।
	2. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी -	नहीं है।
	3. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही -	नहीं है।
	4. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुये कार्य किया जा रहा है -	नहीं है।
14	<b>कोई अन्य सूचना -</b>	नहीं है।
15	<b>संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे-</b>	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज
16	<b>निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात् -</b>	
	1. इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद -	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	2. क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की	इस प्रकरण में लागू नहीं है।

लकड़ी में आत्म निर्भर है	
3. निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव –	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
(क) ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति –	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
(ख) आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका –	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें – प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।	

  
वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

  
(अमन कुमार सिंह)  
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)  
रिलायंस जिओ इंफोकॉग लिमिटेड  
रायपुर छत्तीसगढ़

### कंडिका 07 के अनुक्रमांक-02 के III की जानकारी

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष / खसरा क्रमांक	नारंगी क्षेत्र हे. में	संरक्षित वनक्षेत्र हे. में	राजस्व वन भूमि हे. में	योग हे. में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कटघोरा	केन्दई	P403	---	0.052	---	0.052
2	कटघोरा	केन्दई	P391	---	0.081	---	0.116
3	कटघोरा	केन्दवाई	P383	---	0.091	---	0.091
4	कटघोरा	केन्दई	P382	---	0.049	---	0.049
5	कटघोरा	केन्दई	P381	---	0.147	---	0.147
6	कटघोरा	केन्दई	P353	---	0.127	---	0.127
7	कटघोरा	केन्दई	P352	---	0.026	---	0.026
8	कटघोरा	केन्दई	P354	---	0.097	---	0.097
9	कटघोरा	केन्दई	P348	---	0.062	---	0.062
10	कटघोरा	केन्दई	708	0.018	---	---	0.018
11	कटघोरा	केन्दई	707	0.011	---	---	0.011
12	कटघोरा	चोटिया	381/1	---	---	0.017	0.017
योग :-				0.029	0.767	0.017	0.813

*AS*  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
केन्दई

*AS*  
उप वनमंडलाधिकारी  
कटघोरा



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इन्फो कॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

*AS*  
वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

कंडिका क्रमांक-07 form no.IV S.No. 4-II Details of flora and funa  
Existing in the area

संलग्न है।



(अगन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉग लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

कटघोरा वनमंडल में पाये जाने वाले वनस्पतियों के स्थानीय एवं  
वैज्ञानिक नाम

(क) बड़े एवं छोटे वृक्ष (Large and Medium Trees)

वनस्पतिक नाम वर्णक्रमानुसार

अनु. Sl.No.	वनस्पतिक नाम (Botanical Name)	स्थानीय नाम (Local Name)	परिवार वर्ग (Family Name)
1	<i>Acacia catechu</i> , wild	खैर (Khair)	Leguminosae
2	<i>Acacia leucophlea</i> , Wild	हिवार/गंधिरवा/रेवड़ा (Hiwar/Gandhirwa//Reunjha)	Leguminosae
3	<i>Adina cordifolia</i> , Hook, F	हल्दू/कलगी (Haldu/Kalmi)	Rubiaceae
4	<i>Aegle marmelos</i> , Corr	बेल (Bel)	Rutaceae
5	<i>Ailanthus excelsa</i> Roxb.	महारूख/गहानीम (Maharukh/Mahaneem)	Simarubiaceae
6	<i>Albizia lebbek</i> , Benth	काला सिरिस (Kala Siris)	Leguminosae
7	<i>Albizia odoratissima</i> , Benth	चिचवा (Chichwa)	Leguminosae
8	<i>Albizia procera</i> , Benth	सफेद सिरिस/करही (Safed Siris/Karahi)	Leguminosae
9	<i>Anogeissus acuminata</i> Wall	पानी धावड़ा/पासी (Panidhawara/Pasi)	Combretaceae
10	<i>Anogeissus latifolia</i> Wall	धावड़ा/धीरा (Dhaora)	Combretaceae
11	<i>Anogeissus pendula</i> , Edgew.	करघई (Kardhai)	Combretaceae
12	<i>Anthocephalus kadamba</i> , A. Rich	कदंब (Kadamb)	Rubiaceae
13	<i>Azadirachta indica</i> , A. juss.	नीम (Neem)	Meliaceae
14	<i>Bauhinia malabarica</i> , Roxb.	आमटी (Amti)	Leguminosae
15	<i>Bauhinia purpurea</i> , Linn	केवलार (Keolar)	Leguminosae
16	<i>Bauhinia racemosa</i> , Linn	आष्टा (Asta)	Leguminosae
17	<i>Bauhinia variegata</i> , Linn	कचनार (Kachnar)	Leguminosae
18	<i>Bombax ceiba</i> , Linn	सेमल (Semal)	Malvaceae
19	<i>Borassus flabellifer</i> , Linn	ताड़ (Tad)	Palmae
20	<i>Boswellia serrata</i> , Roxb.	सलई/सलिहा (Salai/Saliha)	Burseraceae
21	<i>Bridelia retusa</i> , Spring	कराई/कसही (Kasai/Kasahi)	Euphorbiaceae
22	<i>Buchanania lanzan</i> , Spreng	अचार/चार/चिरौजी (Achar/Char/Chirouji)	Anacardiaceae
23	<i>Butea monosperma</i> , (Lamk) Taub	पलाश/परसा (Palash/Parsa)	Leguminosae

56	<i>Hardwickia binata</i> , Roxb	अजल (Anjan)	Leguminosae
57	<i>Holoptelia integrifolia</i> , Planch	चिरोल (Chirof)	Urticaceae
58	<i>Hymenodictyon excelsum</i> , Wall	माच/भंवरगाल/भंवरसाल (Mach/Bhanwargal/Bhanwarsal)	Rubiaceae
59	<i>Ixora arborea</i> , Roxb, Sm	लोखण्डी (Lokhandi)	Rubiaceae
60	<i>Kydia calycina</i> , Roxb.	बारंग (Baranga)	Malvaceae
61	<i>Lagerstroemia parviflora</i> , Roxb.	लेण्डिया (Lndia)	Lythraceae
62	<i>Lannea coromandelica</i> (Houtt) Merrill	झिंगन (Jhingan)	Anacardiaceae
63	<i>Lannea grandis</i>	गुजा(Gunja), मोयन (Moyan)	Anacardiaceae
64	<i>Madhuca Indica</i> , Ormel.	महुआ (Mahua)	Sapotaceae
65	<i>Mangifera Indica</i> , Linn.	आम (Am)	Anacardiaceae
66	<i>Mallotus philippinensis</i> , Muell	सिन्दूरी/रोरी (Sinduri/Rori)	Eupherbiaceae
67	<i>Mitragyna parviflora</i> , (Roxb.) Korth	कलम/मुडी/मूढी (Kalam/Mundi/Mudhi)	Rubiaceae
68	<i>Morinda tinctoria</i> , Roxb.	आल (Aal)	Rubiaceae
69	<i>Nyctanthes arbortristis</i> , Linn	हरसिंगार (Harsingar)	Oleaceae
70	<i>Ougelia oojenensis</i> (Roxb) Hochrut	तिन्सा/तिल्सा (Tinsa/Tilisa)	Leguminosae
71	<i>Pterocarpus marsupium</i> , Roxb.	बीजा (Bija)	Leguminosae
72	<i>Phoenix sylvestris</i> , (Roxb)	खजूर (Khajur)	Palmae
73	<i>Pongamia pinnata</i> , (Linn.) Pierre	करंज (Karanj)	Leguminosae
74	<i>Randia dumetorum</i> , Lamk.	मैनफल (Mainphal)	Rubiaceae
75	<i>Randia uliginosa</i> , D.C.	काला फेट्रा (Kala Phetra)	Rubiaceae
76	<i>Saccopetalum tomentosum</i> , Hk. F. & Thoms	कारी (Kari)	Annonaceae
77	<i>Schleichera ojeosa</i> (Lour) Oken.	कुसुम (Kusum)	Sapindaceae
78	<i>Schrebera switenioides</i> , Roxb.	मोखा (Mokha)	Oleaceae
79	<i>Semecarpus anacardium</i> , Linn	भेलवा (Bhelva)	Anacardiaceae
80	<i>Sorea robusta</i>	साल/सरई (Sal/Sarai)	Dipterocarpaceae
81	<i>Sterculia urens</i>	कुल्तू (Kulti)	Sterculiaceae
82	<i>Stereospermum suaveolens</i> , D.C.	बड़ा पाडर (Badapadar)	Bignoniaceae
83	<i>Stereospermum personatum</i> (Hask) Chatt.	छोटा पाडर (Chota Padar)	Bignoniaceae
84	<i>Strychnos nux-vomica</i> , Linn.	मरती (Masiti)	Leguminosae
85	<i>Strychnos potatorum</i> Linn	चिला (Chila)	Leguminosae
86	<i>Soymida febrifuga</i> , A. Juss.	रोहन/रोहिनी (Rohan/Rohina)	Malvaceae
87	<i>Syzygium cumini</i> (Linn) skeels.	जामुन (Jamun)	Myrtaceae

## (ख) शाक एवं झाड़ी (Herb and Shrub)

अनु.	वानस्पतिक नाम (Botanical Name)	स्थानीय नाम (Local Name)	परिवार वर्ग (Family)
1.	<i>Achyranthes aspera</i> , Linn.	चिरचिरा (Chirchira)	Amaranthaceae
2.	<i>Alangium-salvifolium</i> , (Lin.F.) Wang	अकोल (Akol)	Cornaceae
3.	<i>Andrographis paniculata</i> , Nees.	गुई नीम (Bhul Neem)	Acanthaceae
4.	<i>Antidesma diandrum</i> , Roth.	खुटुआ (Khatua)	Euphorbiaceae
5.	<i>Asparagus racemosus</i>	शोमोसी/सतावर (Shomoshi)	Liliaceae
6.	<i>Azanza lampas</i> , (cav.) Alef.	बनकपास (Bankapas)	Malvaceae
7.	<i>Calotropis-glgantea</i> , R. Br.	आक (Aak)	Asclepiadaceae
8.	<i>Carissa opaca</i> , Stapf.	करौदा (Karonda)	Apocynaceae
9.	<i>Cassia tora</i> , Linn	पांवर (Panwar) टरोटा, चरौटा (Tarota, Charota)	Leguminosae
10.	<i>Cassia auriculata</i> , Linn	तखड़ (Takhad)	Leguminosae
11.	<i>Celerodendron serratum</i> , Spreng	दुगा (Duma)	Verbenaceae
12.	<i>Colebrookea oppositifolia</i> , Smith	बनदार (Bandar) काला बांस (Kalabans)	Labiatae
13.	<i>Curcuma angustifolia</i> , Roxb.	तिखुर (Tikhur)	Scitamineae
14.	<i>Curcuma longa</i> , Linn.	हरदी (Hardi)	Scitamineae
15.	<i>Desmodium gangeticum</i> , D.C.	चापरी (Chapti)	Leguminosae
16.	<i>Desmodium laxiflorum</i> , D.C.	लटकनी (Latkani)	Leguminosae
17.	<i>Desmodium motorium</i> (Houtt) Merrill	रोलेई (Rolei)	Leguminosae
18.	<i>Dodonaea viscosa</i> , (Linn) Jacq	खराता (Kharata)	Sapindaceae
19.	<i>Embelia robusta</i> , roxb	बायबिरंग (Baibirang)	Myrsinaceae
20.	<i>Eranthemum pulchellum</i> , Roxb.	बल तुलसी (Bantulsi)	Acanthaceae
21.	<i>Ficourtia indica</i> , (Burm.F.) Merr.	ककई (Kakai)	Bixaceae
22.	<i>Flemingia semialata</i>	बन रहार (Ban Rahar)	Leguminosae
23.	<i>Gardenia gummigera</i> , Linn. F.	डिका माली (Dikamali)	Rubiaceae
24.	<i>Gardenia lucida</i>	पपजेज (Paprel)	Rubiaceae
25.	<i>Gardenia turgida</i> , Roxb.	फेन्द्रा (Phendra)	Rubiaceae
26.	<i>Gerwia hirsuta</i> , Vahl.	गुडसुकड़ी (Gutdukri)	Tiliaceae
27.	<i>Grewia rothii</i> , D.C.	बानसुली (Bansuli)	Tiliaceae
28.	<i>Gymnospori spinosa</i> (Forsk) Fiori	बैकल (Baikal)	Celastraceae
29.	<i>Holicteres isoni</i> , Linn.	मरीझफली (Marorphanli)	Sterculiaceae
30.	<i>Hibiscus ficulenus</i> , Linn	बानभेन्डी (Banbhendi)	Malvaceae

## (ग) लतार्ये (Climbers)

अनु.	वैज्ञानिक नाम ( Botanical Name)	स्थानीय नाम (Local Name)	परिवार वर्ग (Family)
1.	<i>Abrus precatorius</i> , Linn	गुंज (Gun)	Leguminosae
2.	<i>Acacia aesia</i> , W. And A.	चिलबड़ी (Chil Badi)	Leguminosae
3.	<i>Acacia pennata</i> , Willd	चिलछोटी (Chil Chhoti)	Leguminosae
4.	<i>Asparagus racemosus</i> , Willd.	शुतुरी/ शतावर (Shatoori, Stawar)	Liliaceae
5.	<i>Bauhinia vahlii</i> , W. and A.	माहुल (Mahul)	Leguminosae
6.	<i>Butea parviflora</i> .	नासबेल (Nasbel)	Leguminosae
7.	<i>Butea superba</i> , Roxb.	पलास बेल (Palasbel)	Leguminosae
8.	<i>Calamus viminalis</i> , Willd.	बेट (Bet)	Palmae
9.	<i>Capparis zeylanica</i> , Linn.	वाघोटी (Waghoti)	Capparidaceae
10.	<i>Celastrus paniculata</i> , Willd.	माल कंगनी (Mal kangni)	Celastraceae
11.	<i>Combretum decandrum</i> .	पिपरबेल (Piperbel)	Combretaceae
12.	<i>Dioscorea belophylla</i> , Voigt.	कडुकांदा (Kadukanda)	Dioscoreaceae
13.	<i>Dioscorea hispida</i> , Dennst.	बैचान्दी (Baichandi)	Dioscoreaceae
14.	<i>Dioscorea pentaphylla</i> , Linn.	मुसलकंद (Musalkand)	Dioscoreaceae
15.	<i>Lechbocarpus frutescens</i> , Br.	धिगर बेल (Dhimar Bel)	Apocynaceae
16.	<i>Jasminum multiflorum</i> (Burm.F) Andr.	कुंद (Kund)	Oleaceae
17.	<i>Millettia auriculata</i> , Baker	अग्रीलाह/गौज (Agrilaha, Gauj)	Leguminosae
18.	<i>Melothria heterophylla</i> , Cong.	टोंड्री (Tondri)	Cucurbitaceae
19.	<i>Mucuna prurita</i> , Hook.	कैवाच/कचकुरी (Kenwanch, Kanchkuri)	Leguminosae
20.	<i>Smilax zeylanica</i> , Linn	रामदतोन (Ramdaton)	Liliaceae
21.	<i>Spatholobus roxburghii</i> , Benth.	बघनखी (Baghankhi)	Leguminosae
22.	<i>Symphorema polyandrum</i> , Wight	चिटकी (Chitaki)	Verbenaceae
23.	<i>Tinospora cordifolia</i> , Miers.	गिलोह (Giloh)	Menispermaceae
24.	<i>Ventilago calyculata</i> , Tul.	केवटी (Keoti)	Rhamnaceae
25.	<i>Vitis repanda</i>	डाकर बेल (Daker bel)	Vitaceae
26.	<i>Vitis tomentosum</i> , Heyne.	डेटो (Deto)	Vitaceae
27.	<i>Zizyphus oenoplia</i> , Mill.	मकोर (Makor)	Rhamnaceae
28.	<i>Zizyphus rugosa</i> , Lamk.	कांटा कुली (Kanta Kuli)	Rhamnaceae

## (छ) घास (Grass)

अनु.	वैज्ञानिक नाम ( Botanical Name)	स्थानीय नाम (Local Name)
1.	<i>Andropogon buriifus</i> , Roxb.	दालफुलिया (Dalphulia)
2.	<i>Aristida setacea</i> , Tetz.	बर्गी रोण्डा (Bargi Ronda)
3.	<i>Arudinella setosa</i> , Trin.	सिदी (Sidi)
4.	<i>Cymbopogon martini</i> , Stapf.	रोसा घास (Rosa Ghans)
5.	<i>Cynodon dactylon</i> , Pers.	दूब (Doob)
6.	<i>Dichantium annulatum</i> , (Forsk) Stapf.	छोटी मरबेल (Chhoti Marbbel)
7.	<i>Dichantium caricosum</i> , A. Camus.	मोटी मरबेल (Moti Marbel)
8.	<i>Eleusina coracana</i> , Gaertn.	माड़ियाँ (Madia)
9.	<i>Eleusina indica</i> , Gaertn.	पान्डुर (Pandur)
10.	<i>Eragrostis interrupta</i> , Beauv.	गोदला (Gondela)
11.	<i>Eragrostis tenella</i> , Roem.	भुरभुसी (Bhurbhusi)
12.	<i>Eulaliopsis binata</i> , Retz.	बगाई (Bagai)
13.	<i>Grgcilea royleana</i> , Host.	बर्गी (Bargi)
14.	<i>Heteropogon contortus</i> , Beauv.	कुशल/लाम्पा/शुक्ला घास (Kushal, Lampa)
15.	<i>Iseilema nervosum</i>	मुंसेल (Munsel)
16.	<i>Microchloa indica</i> , Beauv.	छाँव (Chhaon)
17.	<i>Imperata cylindrica</i>	छीर (Chhir)
18.	<i>Panicum milfare</i> , Lamk.	कोसरा (Kosra)
19.	<i>Panicum proliferum</i> , Lamk.	पन्गा (Panga)
20.	<i>Panicum psifododium</i> , Trém.	चिर कुटकी (Chire Kutik)
21.	<i>Saceharum spoutaneum</i> , Linn.	कांस (Kans)
22.	<i>Serarla verticitata</i> Beauv.	लटकनी (Latkani)
23.	<i>Sorghum halepense</i> , Pers.	बारु (Baru)
24.	<i>Themeda arundinacea</i> , Kid.	देखना (Dekhna)
25.	<i>Themeda inderbis</i> , T. Corka	गूमर (Gumar)
26.	<i>Themeda quadrivalvis</i>	गुन्हेर (Gunhor)
27.	<i>Thysanofacns maxima</i> , Katze.	फुलबाहरी (Phulbahari)
28.	<i>Votiveria zizanoides</i> , Nash.	खस (Khus)

## (ख) सर्प (Snakes)

अनु.	स्थानीय नाम (Local Name)	अंग्रेजी नाम (English Name)	वैज्ञानिक नाम (Scientific Name)
1.	कोबरा (Cobra)	Cobra	Naja naja (Linnaeus)
2.	अजगर (Ajgar)	Python	Python molurus.
3.	चूहामार सर्प	Rat Snake	Ptyas mucosus (Linnaeus)
4.	रसेल वाईपर	Russel's Viper	Vipera russeli (Shaw)
5.	करैत	The Common Krait	Bungarus caeruleus (Schneider)
6.	देव सर्प	Danded Krait	Bungarus species
7.	पानी सर्प	The Common Water Snake	Natrix piscator (Schneider)

## (ग) लीजार्ड (Lizards)

अनु.	स्थानीय नाम (Local Name)	अंग्रेजी नाम (English Name)	वैज्ञानिक नाम (Scientific Name)
1.	मानीटर लीजार्ड	Monitor Lizard	Varanus monitor (Linnaeus)

## (घ) गगर (Crocodile)

अनु.	स्थानीय नाम (Local Name)	अंग्रेजी नाम (English Name)	वैज्ञानिक नाम (Scientific Name)
1.	गगर	Crocodile	Crocodylus crocodilus

## (च) पक्षी (Birds)

अनु.	स्थानीय नाम (Local Name)	अंग्रेजी नाम (English Name)	वैज्ञानिक नाम (Scientific Name)
1.	घोघिला (Asian open billstork)	Asian open billstork	
2.	बज्रवना (Bajrawana)	Laggar Falcon	Falco biarmicus Jagger (Gray)
3.	लावा (Bater, lowwa)	Jangle Bush Quail	Perdual asiatica (Latham)
4.	बटेर (Bater)	Grey Quail	Coturnix coturnix (Linnaeus)
5.	बया (Baya)	Baya Weaver Bird	Poceus philippinus (Linnaeus)
6.	भिगराज (Bhangraj)	Racket-Tailed Drongo	Dicrurus philippinus (Linnaeus)
7.	भुजंग (Bhujanga)	King Crow (Black Dronge)	Dicrurus admisiills (Bechatein)
8.	बुलबुल (Bulbul)	Red Vented Bulbul	Pycronotus cafer (Bechatein)
9.	चकवा (Chakwa)	Chakwa	Tadorna ferrufinea
10.	चाहा (Chaha)	Common Snipes	Capella gallinage (Linnaeus)
11.	चलोत्तरा (Chalotra)	Common Gray Horn Bill	Tockus birostris (Scopoli)
12.	चील (Cheel)	Common Parlah Kite	Milvus migrans (Beddaert)
13.	छिपक (Chhipka)	Common Indian Nightjar	Caprimulgus asiaticus (Latham)
14.	छोटा किलकिला (Chhota Kilkila)	Small blue kingfisher	Alcedo atthis (Linnaeus)
15.	छोटा बसन्ध (Chhota Basantha)	Copper Smith	Megalalma haemacephala
16.	क्रिमसन/थ्रोटेडबारबेट (Crimson, Throated Barbet)	Crimson throated Barbet	Megalaima rubricapilla
17.	चलोत्तरा (Chalotra)	malabar grey hornbill	Tockus griseus
19.	दूधराज (Dudharaj)	paradise flycatcher	Tripsiphone paradis (Linnacus)
20.	गाय बगुला (Gai-Bagula)	Cattle Egret	Bubulcus ibis (Linnacus)
21.	गंगा मैना (Ganga-Mayna)	Bank Mayna	Acridotheres ginginianus (Latham)
22.	गौरैया (Gauriyya)	House Sparrow	Passer domesticus (Linnaeus)
23.	घुघू (Ghughu)	Indian Great horned owl	Bubo bubo (Linnaeus)
24.	गीध (Gidh)	Bengal vulture	Gyps bengalensis (Gmelin)
25.	गिरिया (Girria)	Cotton Teal	Nettapus coromadelianus (Gmelin)
26.	हरीयल (Harial)	Common green Pigeon	Treron phoenicoptera (Latham)
27.	हुडहुड (Hoopoe)	Hoopoe	Upupa epops
28.	जंगली बोधड (Jangli)	Barred Jungle owler	Glaucidium rediarum (Tickell)

—: प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप :-

रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा देश के सभी जिलों, तहसीलों व गांवों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध सभी आधुनिक दूरसंचार सुविधायें (एस.टी.डी. इन्टरनेट, फैक्स, ई-मेल आदि) का भरोसेमंद मीडिया "ऑप्टिकल फाइबर केबल" है ओ.एफ.सी. बिछायी गयी है, वह छोटी से छोटी जगह भी आधुनिकतम दूरसंचार सेवाओं का लाभ ले रही है।

इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा की केतगा से हाडमोर के बीच केबल बिछाना ताकि इस मार्ग पर पड़ने वाले सभी आबादी क्षेत्रों को यह सुविधा मिल सके। इस मीडिया के आने पर सभी संबंधित क्षेत्र देश के हर हिस्से से जुड़ जाएंगे, तथा देश के किसी भी हिस्से से संबंधित क्षेत्र में संचार सम्भव हो जायेगा। वस्तुतः सम्पूर्ण भारत इससे लाभान्वित होगा।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)  
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड  
रायपुर छत्तीसगढ़

## वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र

वनसंरक्षण अधिनियम अंतर्गत 1980 पैरा 3.2 (8) के अनुसार कुछ प्रास्तावों वैकल्पिक वृक्षारोपण आवश्यक नहीं है, जैसी की एक हेक्टेयर तक वनभूमि का व्युत्पन्न प्रकृति रूप से उगे वृक्षों की सफाई, 3 मीटर से कम भूमिगत खनन आदि।

यदि फिर भी वन विभाग/राज्य शासन चाहे तो संस्थान निर्धारित राशि जमा करने हेतु वचन बद्ध है।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

### 3.2 Land for Compensatory Afforestation. –

- (i) Compensatory afforestation shall be done over equivalent area of non-forest land.

**Clarification:-** As a matter of pragmatism, the revenue lands/zudpi jungle/ Chhote/ Bade jhar ka jungle/ jungle-jhari land/civil – soyam lands and all other such categories of land, on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, shall be considered for the purpose of compensatory afforestation provided that lands on which compensatory afforestation is proposed shall be notified as FR under the Indian Forest Act, 1927.

- (ii) *As far as possible, the non-forest land for compensatory afforestation should be identified contiguous to or in the proximity of Reserved Forest or Protected Forest to enable the Forest Department to effectively manage the newly planted area.*
- (iii) *In the event that non-forest land of compensatory afforestation is not available in the same district, non-forest land for compensatory afforestation may be identified anywhere else in the State/Union Territory as near as possible to the site of diversion, so as to minimise adverse impact on the micro-ecology of the area.*
- (iv) Where non-forest lands are not available or non-forest land is available in less extent to the forest area being diverted, compensatory afforestation may be carried out over degraded forest land being diverted and available nonforest land, as the case may be.
- (v) The non-availability of suitable non-forest land for compensatory afforestation in the entire State / Union Territory would be accepted by the Central Government only on the Certificate from the Chief Secretary to the State/Union Territory Government to that effect.
- (vi) An exception to 3.2(i) above, compensatory afforestation may be raised over degraded forest land twice in extent of the forest area being diverted/deserved in respect of following types of proposals:
- (a) For extraction of minor minerals from the river beds. (However, if forest area to be diverted is above 500 hectares, compensatory afforestation over equivalent area of degraded forest shall be required to be done instead of twice the area being diverted subject to a minimum of 1000 hectare compensatory afforestation).
  - (b) For construction of link roads, small water works, minor irrigation works, school building, dispensaries, hospital, tiny rural industrial sheds of the Government or any other similar work excluding mining and encroachment cases, which directly

benefit the people of the – in hill district having forest area exceeding 50% of the total geographical area, provided diversion of forest area does not exceed 20 hectares.

- (c) For laying of transmission lines upto 220 KV.
  - (d) For mulberry plantation undertaken for silk-worm rearing without any felling of existing trees.
  - (e) For diversion of linear or 'strip' plantation declared as protected forest along the road/ rail/ canal sides for widening or expansion of road/ rail/ canal.
  - (f) For laying of telephone/optical fibre lines.
- (vii) The field firing ranges, which are used temporarily by the defence establishments for arms practice, comprises, of safety zone encompassing the field firing range and danger area/ impact zone. Keeping in view that the impact area is only a small portion of the entire firing range and as an exception to 3.2 (i) above, compensatory afforestation may be raised over equivalent degraded forest land of the forest area being diverted for impact zone of the field firing range.

**(viii) No compensatory afforestation shall be insisted upon in respect of the following:-**

- (a) For clearing of naturally grown trees in forest land or in portion thereof for the purpose of using it for reforestation.
- (b) **Proposals involving diversion of forest land upto one hectare.** (However, in such cases, plantation of ten times the number of trees likely to be felled will have to be carried out by way of compensatory afforestation or any number of trees specified in the order).
- (c) For underground mining in forest land below 3 metres. (However, in respect of forest area required for surface right, compensatory afforestation shall be required as per relevant provisions).
- (d) Cases of renewal of mining lease, for the forest area already broken/used for mining, dumping or over burden, construction of road, ropeways, buildings, etc. For the balance area, compensatory afforestation shall be required to be done as stipulated, provided that no compensatory afforestation had been stipulated and done in respect of this area at the time of grant/renewal of lease earlier.

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

महाप्रबंधक ( कार्पो. अफेयरी) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा ओ.एफ. सी.लाईन बिछाने हेतु कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत प्रस्तावित वनभुगि रकबा 0.813 हैं. मांग की गई भुमि न्युनतम है।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयरी)  
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड  
रायपुर छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र

इस योजना में पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतएव पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारत का राजपत्र भाग - II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) संख्या 1067 नई दिल्ली वृहस्तपतिवार सितम्बर 14, 2006/ भाद्र 23, 1928



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)  
PART II - Section 3 - Sub-section (ii)

अधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, मिनियर 14, 2006/सं० 23, 1928  
NEW DELHI THURSDAY, BELFATHER 14, 2006/BIADRA 23, 1928

समाचारण और नन मंत्रालय

संक्षिप्ततः

नई दिल्ली, 14 मिनियर, 2006

का.आ. 153अ (अ). - केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार या संघीय राज्य सरकारों प्रशासन को परामर्श से अधिक किए जाने वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की परामर्श समन्वय विभाग अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के प्रयोग के लिए परामर्श (संस्था) अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन संघ संविधान द्वारा 18 नवंबर, 2006 को अनुसूचित राष्ट्रीय परामर्श नीति और अधिसूचना से विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत के अनुसार एक एक पूर्व परामर्शीय अवस्था अधिनियमित नहीं की जाती है, मन्त्र के किसी भाग में, नई परिभाषाओं या क्रियाकलापों पर यह इस अधिसूचना की अनुसूची में तथा उपरोक्त उक्त संघ परामर्शीय समाचारों पर प्रेषण परामर्शियों या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर कठिनाई निर्वाह और प्रतिबंध अधिनियम, 1966 के धारा 5 के उपधारा (3) के अधीन एक प्रावधान अधिसूचना द्वारा के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3 खण्ड (ii) में, सं० 3300 (ii) 1374(अ), तारीख 15 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उक्त सभी अधिनियमों से, जिसके अंतर्गत प्रकाशित होने की संभावना है, एक संशोधन है, जिसको संघ अधिसूचना को विनिर्दिष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियों जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, एक दिन की अवधि के भीतर लालच और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और एक अधिसूचना की प्रतियों 15 सितंबर, 2006 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी।

और एक उल्लिखित प्रावधान अधिसूचना के अंतर्गत प्राप्त सभी प्रतियां और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सातक रूप में विचार कर लिया है।

अनुसूची

(धारा 2 और 7 देखें)

पूर्व प्रशासकीय अकांक्षा की अर्थात् वाली परिशिष्टियों या क्रियाकलापों की सूची

क्र. सं.	परिशिष्टियों या क्रियाकलाप	अवधिकार सहित प्रयोग	शर्तें, यदि कोई हो	
खनन, प्राकृतिक संसाधन व. निष्कासन और विद्युत उत्पादन विभिन्न उत्पादन क्षमता के लिए				
1				
1(क)	खनिज का खनन	खनन परत को कम से कम 2.50 से। विशेषी की खनन क्षेत्र का आकार दिनांक दिनांक सेटल खण्ड	2.50 हेक्टेयर 2.5 हेक्टेयर खनन परत क्षेत्र	साधारण शर्तें लागू होंगी विशेष खानेज परतों को पूर्वक्षण (विशेषी इतिहास में हो) को पूरा की गई है नहीं कि नगरपालिका क्षेत्रों के लिए पूरा वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है।
1(ख)	अपघटन और खनन की तरह तथा पत्थर की खोज, विनाश और उत्पादन	सभी परिशिष्टियों	खोज परतक्षण (विशेषी इतिहास में हो) को पूरा की गई है नहीं कि नगरपालिका क्षेत्रों के लिए पूरा वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है।	
1(ग)	नदी जमीन परिशिष्टियों	(i) $\geq 50$ हेक्टा. में विद्युत उत्पादन (ii) $\geq 10,000$ हेक्टेरी योग्य प्रकाशित क्षेत्र	(i) $< 50 > 25$ हेक्टा. में विद्युत उत्पादन (ii) $< 10,000$ हेक्टेरी योग्य प्रकाशित क्षेत्र	साधारण शर्तें लागू होंगी
1(घ)	जमीन विद्युत तंत्र	(कोयला, लिग्नाइट और भेषक गैस आधारित) $\geq 500$ मे.घ. $\geq 50$ मे.घ. (पेट्रोलियम, डीजल और सभी अन्य ईंधन)	(कोयला/लिग्नाइट/भेषक एवं गैस आधारित) $< 500$ मे.घ. (पेट्रोलियम, डीजल और सभी अन्य ईंधन) $< 50$ मे.घ. $\geq 5$ मे.घ.	साधारण शर्तें लागू होंगी
1(ङ)	प्राथमिक विद्युत परिशिष्टियों और प्राथमिक ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परिशिष्टियों		
प्राथमिक प्रसंस्करण				
2				
2(क)	कोयला प्रसंस्करण	$\geq 1$ मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	$< 1$ मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्तें लागू होंगी (यदि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का पूर्वांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए)









वृक्ष विदोहन विवरण

महाप्रबंधक ( कार्पो. अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा ओ.एफ. सी.लाईन बिछाने हेतु कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि रकबा 0.813 हे. में कोई वृक्ष का विदोहन नहीं होना है।



वन प्ररिक्षेत्र अधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल,  
जिला- कोरबा छत्तीसगढ़

वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा  
वन मण्डल अधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल  
जिला- कोरबा छत्तीसगढ़


उप वन मण्डल अधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल  
जिला- कोरबा छत्तीसगढ़

कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस

किरी भी प्रकार से वृक्षों का विद्रोहन नहीं हो रहा है और न ही वृक्षों को क्षति पहुंचाई जा रही है। अतः कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।



(अमर कुमार सिंह)  
महाप्रबंधक (कॉम. अफेयर्स)  
रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड  
रायपुर छत्तीसगढ़

  
वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा  
वनमंडलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल,  
जिला- कोरबा छत्तीसगढ़

चयनित गैर वन/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्रा, समक्ष  
अधिकारी का हस्तान्तरण आदेश)

जो गैर वनक्षेत्र एन.एच में उपयोग में आरही है वही गैर वन भूमि इस प्रयोजना  
में सयुक्त है।



(अमर कुमार सिंह)  
महाप्रबंधक (वि.पि. अफेयसी)  
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड  
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यपालन अभियंता  
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर (छोगा)

आपन क्रमांक 2006/शिल्प/38/ए/अम्बिकापुर

दिनांक 2/12/2015

प्रति


रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड,  
चौथी मंजिल, ए.सी.ई. ग्लोबल बिल्डिंग,  
मिनोबा पेट्रोल पम्प के सामने जी.ई.रोड  
तेलीबांधा रायपुर (छोगा)

विषय :- बिलासपुर-कटघोरा-अम्बिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.130 के कि.मी.120.00 से 184.00 तक सरलक सतह के समाप्ति केवल विछाने की अनुमति वास्तु।

संदर्भ :- आप का आवेदन पत्र क्र.RJH/OFC/NLD/PWD-NH-264, Dated 24/11/2015

उपरोक्त संदर्भ में आप के द्वारा राजमार्ग क्र.130 के कि.मी.120.00 से 184.00 के मध्य भूमिगत केबल डालने हेतु बैंक गारण्टी नं. 0541 BGR 0021516 दिनांक 18.11.2015 को 64,00,000/- रुपये का प्राप्त हो गया है। इसलिए उक्त माम में ओ.एच.सी.केवल डालने की अनुमति नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है, साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवासीय एवं शहरी अर्थों में डोब्लिंग मशीन से ही केबल डालें।

सहपत्र :- नियम एवं शर्तें।


  
कार्यपालन अभियंता  
लोक निर्माण विभाग अम्बिकापुर

पू० क्रमांक 2007/शिल्प/अम्बिकापुर

दिनांक 2/12/2015

प्रतिलिपि:- अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.रा.स.अनुविभाग अम्बिकापुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


सहपत्र :- नियम एवं शर्तें।

  
कार्यपालन अभियंता  
लोक निर्माण विभाग अम्बिकापुर

## शर्तें :-

1. पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के परिपत्र क्र. आर.डब्ल्यू/एन.एच.-33044/17/2000-एस.एंड.आर. दिनांक 29.09.2000 में उल्लेखित निर्देशों का पालन किया जाये तथा पोत परिवहन सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा समय-समय में जारी गाइड लाईन का ध्यान में रखकर निर्देशों का पालन किया जावे।
2. केबल डालने के पूर्व प्रस्तावित खुदाई के एलाइनमेंट अनुमोदित ले आउट का मानचित्र कार्य के दौरान स्थल पर रखना अनिवार्य होगा जो निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत किया जायेगा।
3. केबल को सड़क के समानान्तर डालने के लिये खुदाई का कार्य Horizontal drilling device से किया जाये एवं अन्य सड़क को पार करने के लिये भी Horizontal drilling device से किया जाये।
4. ओ.एफ.सी. केबल सड़क के मध्य से 15 मीटर की दूरी या सड़क सीमा के अंतिम छोर तथा 1.65 मीटर गहराई पर डाली जावे।
5. ओ.एफ.सी. केबल सड़क के मध्य से 15 मीटर की दूरी या सड़क सीमा के अंतिम छोर पर नहीं डाली जाने की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा दी गई अनुमति स्वतः निरस्त माना जावेगा।
6. मार्ग के विकास एवं विस्तार हेतु आवश्यकत पड़ने पर उचित लाईन हटाने हेतु सूचना दी जायेगी, यदि समयावधि में केबल नहीं हटाई जाती है तो संबंधित विभाग की जवाबदारी जखिम एवं व्यय पर उचित फेदल विभागीय तौर पर हस्त दी जायेगी एवं इसके लिये किसी भी प्रकार का देनदारी इस विभाग का नहीं रहेगी।
7. केबल के क्षतिग्रस्त होने की जवाबदारी विभाग की नहीं होगी।
8. कि.मी 120.00 से 184.00 = 64.00 कि.मी. के मध्य जहाँ-जहाँ आरक्षित वन भूमि आती है, उसमें केबल बिछाने की अनुमति संबंधित विभाग से लेनी होगी।
9. इस कार्य के लिये ₹ 64,00,000 लाख जमा की गई बैंक गारंटी इस कार्य की पूर्वास्थिति प्राप्ति का कार्य संतोषप्रद ढंग से किये जाने के बाद ही वापस किया जायेगा।
10. आप के द्वारा ₹ 64,00,000/- ( चौसठ लाख रु. मात्र ) (रिस्टोरेशन चार्ज) हेतु बी.जी. नं.0541BGR 0021516 दिनांक 18.11.2016 बैंक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक रायपुर सिविल लाईनस रायपुर (छ.ग.) का बैंक गारंटी समयवृद्धि दिनांक 17.11.2016 तक कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो कार्य पूर्ण होने तक गमम बढ़ाना होगा।
11. यदि नियमों को लागू करने के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को उसे निश्चय के लिये निर्दिष्ट किया जावेगा तथा केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय को लागू किया जावेगा।


स्थान :- अम्बिकापुर  
तारीख :-

  
 02/11/15  
 कार्यपालन अभियंता  
 लो०नि०वि०सा०रि०सु०भाग, अम्बिकापुर  
 2/11/15

कार्यालय कार्यपालन अभियंता  
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

SECOND SCHEDULE  
(See Rule 8)  
FORM OF PERMIT FOR OCCUPATION OF HIGHWAY LAND  
(Under sub-section (2) of section 24 of the Control of National Highway  
(Land and Traffic Act, 2002)

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र :- छत्तीसगढ़
- 01 उस व्यक्ति का नाम, जिसे अनुज्ञापत्र जारी किया गया है। :- Shri Aman kumar singh RJIL ACE Globls  
4th Floor G.E.Road Telibandha Raipur (C.G.)
- 02 पिता का नाम :- N.A.
- 03 स्थायी पता :- Shri Aman kumar singh RJIL ACE Globls  
4th Floor G.E.Road Telibandha Raipur (C.G.)
- 04 (मोबाईल नंबर सहित) पत्र व्यवहार के लिये पता :- 9752446854  
:- Shri Aman kumar singh RJIL ACE Globls  
4th Floor G.E.Road Telibandha Raipur (C.G.)
- 05 (मोबाईल नंबर सहित) अनुज्ञापत्र के अनुशरण में अधिग्रहित किये जाने वाले राजमार्ग का क्षेत्र वर्ग मीटर में। :- 9752446854  
:- 64000 RM
- 06 ऐसे क्षेत्र की अवस्थिति (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. व किलोमीटर) :- N.H.130 km 120.00 to 184.00
- 07 प्रयोजन, जिसके लिये अनुज्ञापत्र के अधीन अनुज्ञा दी गई। :- for optical Fiber cable
- 08 वह अवधि तारीख सहित, जिसके लिये अनुज्ञापत्र के अधीन अनुज्ञा दी गई। :- 18/11/2015 to 17/11/2016
- 09 वे शर्तें, जिनके अधीन अनुज्ञापत्र के अधीन अनुज्ञा दी गई। :- S No. 01,02,03,04,05 राजमार्ग प्रशासन नियम 2004 अध्याय 3 के धारा 6 के अन्तर्गत।
- 10 संदत्त किराया :- Rs 64,00,000/- (Rupees Sixty Four lakhs) only for Restoration charge of B.G.N0541 BGR 0021516 dt.-18.11.2015 of ICICI Bank, Civil Lines, Raipur (C.G.)

  
02/11/15  
हाईवे प्रशासक  
कार्यपालन अभियंता  
लोक निर्माण विभाग अम्बिकापुर

गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा

आवश्यक नहीं है।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)  
रिलायंस जिओ इन्फोकॉग लिमिटेड  
रायपुर छत्तीसगढ़

स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के)

आवश्यकता नहीं है।

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
कैटई

  
उप वनमंडलाधिकारी  
कटघोरा



(अमन कुमार सिंह)  
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)  
रिलायंस जिओ इंफो कॉम लिगिटेड  
रायपुर छत्तीरागढ़

  
वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

43

26

F. No. 11-9/98-FC  
Government of India  
Ministry of Environment and Forests  
(FC Division)

Paryavaran Bhawan,  
CGO Complex, Lodi Road,  
New Delhi - 110 003  
Date: 18<sup>th</sup> June, 2011

To  
The Principal Secretary (Forests)  
All States / Union Territory Governments except Jammu and Kashmir

Re: General approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Departments involving not more than 5.00 ha of forest land in each case in 60 Left Wing Extremism affected districts.

Sir,  
I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 13.05.2011, wherein this Ministry in partial modification of its earlier letter of even number dated 03.11.2010 further relaxed the existing general approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Departments from 7.00 ha of forest land in each case to 5.00 ha of forest land in each case in 60 (sixty) Left Wing Extremism affected districts, and to say that in partial modification of the condition indicated at (i) and (ii) at page -2 of the said letter dated 13.05.2011, no compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted in accordance with the said general approval shall be insisted upon.

I am further directed to say that all those proposals where decision on diversion of forest land could be taken by the State Government in accordance with the said general approval, but have already been submitted to this Ministry or its Regional Offices and the decision on diversion of forest land indicated in these proposals has not been taken by the Ministry or its Regional Offices so far, will be returned back to the respective State/ UT Governments for taking decision in accordance with the said general approval.

Yours faithfully,

(S.C. Chaudhary)  
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Director, Prime Minister's Office, New Delhi for kind information
2. The Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat, New Delhi
3. The Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
4. The Member Secretary, Planning Commission, New Delhi.
5. The Secretary, Ministry of Rural Development, New Delhi.
6. The Secretary, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi.

- (c) For laying of transmission lines up to 220 K.V.
  - (d) For mulberry plantation undertaken for silk-worm rearing without any felling of existing trees.
  - (e) For diversion of linear or strip plantation declared as protected forest along the road/rail/canal sides for widening or expansion of road/rail/canal.
  - (f) For laying of telephone/optical fibre lines.
- (vi) The field firing ranges, which are used temporarily by the defence establishments for arms practices, comprises of safety zone encompassing the field range and danger area/ impact zone. Keeping in view that the impact area is only a small portion of the entire firing range and as an exception to 3.2(i) above, compensatory afforestation may be raised over equivalent degraded forest land of the forest area being diverted for impact zone of the field firing range.
- (vii) No compensatory afforestation shall be insisted upon in respect of the following:-
- (a) For clearing of naturally grown trees in forest land or in portion thereof for the purpose of using it for reforestation.
  - (b) Proposals involving diversion of forest land up to one hectare. (However, in such cases, plantation of ten times the number of trees likely to be felled will have to be carried out by way of compensatory afforestation or any number of trees specified in the order).
  - (c) For underground mining in forest land below 3 metres. (However, in respect of forest area required for surface right, compensatory afforestation shall be required as per relevant provisions).
  - (d) Cases of renewal of mining lease, for the forest area already broken/used for mining, dumping or overburden, construction of roads, ropeway, building,

- etc. for the balance area compensatory afforestation shall be required to be done as stipulated, provided that no compensatory afforestation had been stipulated and done in respect of this area at the time of grant/renewal of lease earlier.
- (ix) Special provision for Central Government/Central Government Undertaking Projects.
- (a) Compensatory afforestation may be raised on degraded forest land twice in extent of forest area being diverted. Certificate of Chief Secretary regarding non-availability of non-forest land for compensatory afforestation will not be insisted.
  - (b) The user agency will deposit the amount for compensatory afforestation with the concerned State Govt. on receiving the demand and the actual transfer/use of forest land will be effected only after the receipt of the demanded amount.
  - (c) The State Governments will identify 'blank forest' or degraded forest lands for compensatory afforestation. The State Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan will identify such degraded forest land in their States for compensatory afforestation of Central projects in their respective States as indicated by the Chief Secretaries of these two States in the meeting of Committee of Secretaries held on 15-11-1996.
  - (d) The pool of degraded forest land in Madhya Pradesh and Rajasthan will also be available for the Central Government projects of other States if the concerned State Government fail to identify the requisite land as mentioned at (a) above, for compensatory afforestation in its own territory within one month of the submission of the proposal of the State Government.

- (c) For laying of transmission lines up to 220 K.V.
- (d) For mulberry plantation undertaken for silk-worm rearing without any felling of existing trees
- (e) For diversion of linear or strip plantation declared as protected forest along the road/rail/canal sides for widening or expansion of road/rail/canal.
- (f) For laying of telephone/optical fibre lines.

(vii) The field firing ranges, which are used temporarily by the defence establishments for arms practices, comprises of safety zone encompassing the field range and danger area/ impact zone. Keeping in view that the impact area is only a small portion of the entire firing range and as an exception to 3.2(1) above, compensatory afforestation may be raised over equivalent degraded forest land of the forest area being diverted for impact zone of the field firing range.

(viii) No compensatory afforestation shall be insisted upon in respect of the following:-

- (a) For clearing of naturally grown trees in forest land or in portion thereof for the purpose of using it for reforestation.
- (b) Proposals involving diversion of forest land up to one hectare. (However, in such cases, plantation of ten times the number of trees likely to be felled will have to be carried out by way of compensatory afforestation or any number of trees specified in the order).
- (c) For underground mining in forest land below 3 metres. (However, in respect of forest area required for surface right, compensatory afforestation shall be required as per relevant provisions).
- (d) Cases of renewal of mining lease, for the forest area already broken/used for mining, dumping or overburden, construction of roads, ropeway, building,

etc. For the balance area compensatory afforestation shall be required to be done as stipulated, provided that no compensatory afforestation had been stipulated and done in respect of this area at the time of grant/renewal of lease earlier.

(ix) Special provision for Central Government/Central Government Undertaking Projects.

- (a) Compensatory afforestation may be raised on degraded forest land twice in extent of forest area being diverted. Certificate of Chief Secretary regarding non-availability of non-forest land for compensatory afforestation will not be insisted.
- (b) The user agency will deposit the amount for compensatory afforestation with the concerned State Govt. on receiving the demand and the actual transfer/use of forest land will be effected only after the receipt of the demanded amount.
- (c) The State Governments will identify 'blank forest' or degraded forest lands for compensatory afforestation. The State Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan will identify such degraded forest land in their States for compensatory afforestation of Central projects in their respective States as indicated by the Chief Secretaries of these two States in the meeting of Committee of Secretaries held on 13-11-1996.
- (d) The pool of degraded forest land in Madhya Pradesh and Rajasthan will also be available for the Central Government projects of other States if the concerned State Government fail to identify the requisite land, as mentioned at (a) above, for compensatory afforestation in its own territory within one month of the submission of the proposal of the State Government.

कण्डिका क्रमांक - 17

## वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र

आवश्यकता नहीं है।



(अमर कुमार सिंह)


महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

## अधिनियम उल्लंघन अन्तर्गत कार्यों का विवरण

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

  
वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा )

(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल,  
जिला- कोरबा (छ.ग.)


  
उप-वनमंडलाधिकारी  
कटघोरा

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
कैदई

**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण**

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जानकारी निरंक है।

  
उप-वनमंडलाधिकारी  
कटघोरा

  
वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल,  
जिला- कोरबा (छ.ग.)

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
केंद्रीय

## अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही

इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

  
**वन मण्डलाधिकारी**  
 (कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा)  
 (भा.व.से.)  
 वनमंडलाधिकारी  
 कटघोरा, वनमण्डल  
 जिला- कोरबा (छ.ग.)

  
**वन परिक्षेत्र अधिकारी**  
 कैंदई

  
**उप वनमंडलाधिकारी**  
 कटघोरा

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र

आवश्यकता नहीं है।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

51

F. No. 11-9/98-FC  
Government of India  
Ministry of Environment and Forests  
(FC Division)

Paryevaran Bhawan,  
CGO Complex, Lodhi Road,  
New Delhi - 110 010  
Date: 16<sup>th</sup> June 2011

To: The Principal Secretary (Forests),  
All States / Union Territory Governments except Jammu and Kashmir

Re: General approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Departments involving not more than 5.00 ha of forest land in each case in 60 Left Wing Extremism affected districts (eg).

Sub: I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 13.05.2011, wherein this Ministry in partial modification of its earlier letter of even number dated 03.11.2010 further relaxed the existing general approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Departments from 7.00 ha of forest land in each case to 5.00 ha of forest land in each case in 60 (sixty) Left Wing Extremism affected districts, and to say that in partial modification of the condition indicated at (i) No (a) and (iv) of page -2 of the said letter dated 13.05.2011, no compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted in accordance with the said general approval shall be insisted upon.

I am further directed to say that all those proposals where decision on diversion of forest land could be taken by the State Government in accordance with the said general approval, but have already been submitted to this Ministry or its Regional Offices and the decision on diversion of forest land indicated in these proposals has not been taken by the Ministry or its Regional Offices so far, will be returned back to the respective State/ UT Governments for taking decision in accordance with the said general approval.

Yours faithfully,

(H. C. Chaudhary)  
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Director, Prime Minister's Office, New Delhi for kind information
2. The Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat, New Delhi
3. The Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi
4. The Member-Secretary, Planning Commission, New Delhi
5. The Secretary, Ministry of Rural Development, New Delhi
6. The Secretary, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi

1/15/2011

afforestation/management point of view along with the cost structure of various operations.

- (ii) Sometimes the compensatory afforestation schemes are being submitted at such a cost structure, which is in variance with the cost norms for the same area. The compensatory afforestation schemes no doubt has to be site specific and thus per hectare rate will vary according to species, type of forest and site. In this regard, it has been decided that henceforth the compensatory afforestation schemes which are being submitted along with the proposals for forestry clearance, must have technical and administrative approvals from the competent authority and should be in conformity with cost norms based on species, type of forest and site.

### 3.2 LAND FOR COMPENSATORY AFFORESTATION

- (i) Compensatory Afforestation shall be done over equivalent area of non-forest land.

**Clarification :** As a matter of pragmatism, the revenue land/udpi jungle/ehote/ bade jhar ka jungle/jungle-jhar land/civil soyam land and all other such categories of lands, on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, shall be considered for the purpose of compensatory afforestation provided such lands on which compensatory afforestation is proposed shall be notified as RF under the Indian Forest Act, 1927.

However, as far as possible efforts should be made to carryout Compensatory Afforestation only on non-forest land. (This line has been added by MOEF Letter no. F. No. 5-1/2007 FC, dated 28-12-2007.

- (ii) As far as possible, the non-forest land for compensatory afforestation should be identified contiguous to or in the proximity of Reserved Forest or Protected Forest to enable the Forest Department to effectively manage the newly planted area.

- (iii) In the event that non-forest land of compensatory afforestation is not available in the same district, non-forest land for compensatory afforestation may be identified anywhere else in the State/UT as near as possible to the site of diversion, so as to minimise adverse impact on the micro-ecology of the area.

- (iv) Where non-forest lands are not available or non-forest land is available in less extent to the forest area being diverted, compensatory afforestation may be carried out over degraded forest twice in extent to the area being diverted or to the difference between forest land being diverted and available non-forest land, as the case may be.

- (v) The non-availability of non-forest land for compensatory afforestation would be accepted by the Central Government only on the certificate from the Chief Secretary to the State/UT Government to that effect.

- (vi) As an exception to 3.2 (i) above, compensatory afforestation may be raised over degraded forest land twice in extent of the forest area being diverted/dereserved in respect of following types of proposals:-

- (a) For extraction of minor minerals from the river beds. (However, if forest area to be diverted is above 500 hectares, compensatory afforestation over equivalent area of degraded forest shall be required to be done instead of twice the area being diverted subject to a minimum of 1000 hectares compensatory afforestation).

- (b) For construction of link roads, small water works, minor irrigation works, school building, dispensaries, hospital, tiny rural industrial sheds of the Government or any other similar work excluding mining and encroachment cases, which directly benefit the people of the area in hill districts and in other districts having forest area exceeding 50% of the total geographical area provided diversion of forest area does not exceed 20 hectares.

afforestation/management point of view, along with the cost structure of various operations.

- (iii) Sometimes the compensatory afforestation schemes are being submitted at such a cost structure, which is at variance with the cost norms for the same area. The compensatory afforestation schemes no doubt has to be site specific and thus per hectare rate will vary according to species, type of forest and site. In this regard, it has been decided that henceforth the compensatory afforestation schemes which are being submitted along with the proposals for forestry clearance, must have technical and administrative approvals from the competent authority and should be in conformity with cost norms based on species, type of forest and site.

### 3.2 LAND FOR COMPENSATORY AFFORESTATION

- (i) Compensatory Afforestation shall be done over equivalent area of non-forest land.

**Clarification :** As a matter of pragmatism, the revenue land/zudpi jungle/chhoti/ bado jhar ka jungle/jungle-shari land/civil-soyam land and all other such categories of lands, on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, shall be considered for the purpose of compensatory afforestation provided such lands on which compensatory afforestation is proposed shall be notified as RF under the Indian Forest Act, 1927.

However, as far as possible efforts should be made to carryout Compensatory Afforestation only on non-forest land. (This line has been added by MOEF Letter no. F. No. 5-3/2007 FC dated 28-12-2007.

- (ii) As far as possible, the non-forest land for compensatory afforestation should be identified contiguous to or in the proximity of Reserved Forest or Protected Forest to enable the Forest Department to effectively manage the newly planted area.

- (iii) In the event that non-forest land of compensatory afforestation is not available in the same district, non-forest land for compensatory afforestation may be identified anywhere else in the State/UT as near as possible to the site of diversion, so as to minimise adverse impact on the micro-ecology of the area.

- (iv) Where non-forest lands are not available or non-forest land is available to less extent to the forest area being diverted, compensatory afforestation may be carried out over degraded forest twice in extent to the area being diverted or to the difference between forest land being diverted and available non-forest land, as the case may be.

- (v) The non-availability of non-forest land for compensatory afforestation would be accepted, by the Central Government only on the certificate from the Chief Secretary to the State/UT Government to that effect.

- (vi) As an exception to 3.2 (i) above, compensatory afforestation may be raised over degraded forest land twice in extent of the forest area being diverted/deserved in respect of following types of proposals:-

- (a) For extraction of minor minerals from the river beds. (However, if forest area to be diverted is above 500 hectares, compensatory afforestation over equivalent area of degraded forest shall be required to be done instead of twice the area being diverted subject to a minimum of 1000 hectares compensatory afforestation).
- (b) For construction of link roads, small water works, minor irrigation works, school building, dispensaries, hospital, tiny rural industrial sheds of the Government or any other similar work excluding mining and encroachment cases, which directly benefit the people of the area in hill districts and in other districts having forest area exceeding 50% of the total geographical area provided diversion of forest area does not exceed 20 hectares.

## कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान

कैचमेन्ट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

SS  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
कटघोरा

Am  
उप वनमंडलाधिकारी  
कटघोरा



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)  
रिलायंस जिओ इंफोकॉग लिमिटेड  
रायपुर छत्तीरागढ़

वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

## रिक्लेमेशन प्लान

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं

08/1



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

*Am*  
उप वनमंडलाधिकारी  
कटघोरा

*Am*  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
कटघोरा


*Am*  
वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

## आई.बी.एम. नागपुर द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान

(केवल खनन प्रकरण में)

चूँकि यह खनन प्रकरण नहीं है। अतः इस प्रकरण में नहीं माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

  
उप वनमंडलाधिकारी  
कटघोरा

  
वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

  
(अमर सिंह)  
महाप्रबंधक (सी.पी. अफयर्स)  
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड  
रायपुर छत्तीसगढ़

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
कंदई

## व्यवस्थापन प्लान

कोई भी परिवार या निजी भूमि प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित नहीं हो रहा है।  
अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।



(अमर कुमार सिंह)  
महाप्रबंधक (कॉर्पो. अफेयर्स)  
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड  
रायपुर छत्तीसगढ़

*Om*  
उप मण्डलाधिकारी  
कटघोरा

*Om*  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
कंठई

*Om*  
वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा